

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान) कैम्प..... १२२.....

**आदेश**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी १२२ व भूअवि. (पीठासीन) की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार (पलमपुर) की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में गांव (पीठासीन) पोहो १२२ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम / पोहो	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	हरिनमपुरा	ख. नं. 947, 947/482, 950, 967/1483, 966, 969, 970 किला-7 कुल रकबा 5.92 ई०	पार्थी का नाम रामकुमार पुत्र गणेश	पार्थी का नाम रामकुमार पुत्र गणेश दर्ज कानून के अन्तर्गत दिये गये हैं निम्नलिखित नामों का दस्तावेज आदेश के अन्तर्गत करे। (अमल दरामद) कवदुर है।
2.	लिथमपुरा	ख. नं. 56, 61 किला-2 कुल रकबा 2.97 ई०		

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021

(राजेश कुमार मीणा)  
 उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर  
 दिनांक: 18/10/2021

क्रमांक / कैम्प / 2021 / 176  
 प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

प्रशासन गांवों के संग अभियान - 2021

पीठासीन अधिकारी प्रशासन संग गांवों के अभियान-2021  
 उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर  
 उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर